राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लाट नं. 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी,जयपुर)

क्रमांक:पैरामेडि.कौं/काउंसलिंग/2017/682 दिनांक :– 27-3-17

कार्यालय आदेश

अध्यक्ष व निदेशक (जन–स्वा.) महोदय, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 22.03.2017 को सम्पन्न हुई कौंसिल की बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के द्वारा सत्र 2016–17 हेतु पैरामेडिकल प्रशिक्षण की तृतीय ऑनलाईन काउन्सलिंग के पश्चात राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेजों में रिक्त रही सीटो को, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान, जयपुर (Federation) द्वारा भरे जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है, उक्त कॉलेजों में कोर्सवार रिक्त सीट में अभ्यार्थियों का चयन राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के नियम/विनियम के निर्धारित नियमों के अनुसार किया जावें एवं उक्त अभ्यार्थियों की सूचना दिनांक 05.04.2017 तक सीटों की सूचना कॉलेजवार, कोर्सवार अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर में देनी होगी।

उक्त अभ्यार्थियों का चयन राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के नियम/विनियम के अनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर चयन कर सत्यापन करवाने का श्रम करें अन्यथा पैरामैडीकल कौंसिल के द्वारा करवाये जा रहे कोर्स के लिए परीक्षा में बैठने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशिक्षण केन्द्र की होगी–

1. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के नियमानुसार प्रशिक्षाणार्थीयों का चयन कॉलेजवार, कोर्सवार आरक्षण देते हुए मेरिट के आधार पर चयन करें।
2. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेजों को सत्र 2016–17 में प्रशिक्षण हेतु आवंटित प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने अपनी उपस्थिति प्रशिक्षण केन्द्र पर दी है, के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा की मूल अंकतालिका/मूल निवास/प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate)/जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्र अपने स्तर से जमा करें।
3. प्रशिक्षणार्थी अजमेर बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण होने पर उसका सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड से करावें एवं अजमेर बोर्ड समकक्षता का प्रमाण–पत्र लेवें।
4. प्रशिक्षणार्थी द्वारा की उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग (Physics, Chemistry, Biology/Maths) से उत्तीर्ण की गयी है, यह सुनिश्चित करें।
5. प्रशिक्षणार्थी कृषि विज्ञान (Agriculture) /कला वर्ग/वाणिज्य वर्ग से उत्तीर्ण है तो प्रशिक्षण के लिए मान्य नहीं होगा।
6. प्रशिक्षणार्थी के उच्च माध्यमिक परीक्षा में सामान्य जाति के लिए 45% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए 40% प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
7. जिन प्रशिक्षणार्थियों ने अपनी उपस्थिति प्रशिक्षण केन्द्र पर दी है, उनकी आयु दिनांक 31.12.2016 तक 17 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है।
8. उक्त प्रशिक्षाणार्थियों की सूचना निम्नलिखित प्रपत्र में भिजवाने का श्रम करें।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	जाति वर्ग	31.12.2016 तक आवेदक कि आयु	सीनियर सैकण्डरी में विषय(PCM/PCB)	सैकण्डरी उत्तीर्ण बोर्ड का नाम	सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण बोर्ड का नाम	सीनियर सैकण्डरी के प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रशिक्षण कोर्स का नाम	पैरामेडिकल कॉलेज का नाम
1.											

क्रम संख्या	पैरामेडिकल कॉलेज का नाम	प्रशिक्षण कोर्स का नाम	कुल सीटों की संख्या	राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, द्वारा आवंटन के पश्चात उपस्थिति प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान द्वारा आंवटित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	रिक्त सीटों की संख्या
1.						

(पारस चन्द जैन)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

अध्यक्ष / सचिव,
पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान,
सी–18 गिराधारीपुरा जयपुर 302010

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / काउंसलिंग / 2017 / 682 दिनांक :– 27-03-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थय (ग्रुप–3) विभाग।
3. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल जयपुर।
4. समस्त पैरामेडिकल कॉलेज को सूचनार्थ।
5. सर्वर रूम को सूचनार्थ।
6. सक्षित पत्रावली।

(पारस चन्द जैन)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार